

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक— १७४७ लखनऊ / 17931 / 2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी २३, 2017.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग—२,
लखनऊ ।

विषय : हरदोई में शाहजहाँपुर—हरदोई मार्ग (एस0एच0-25) किमी0 135—136 के मध्य बार्यों पटरी पर स्थित ग्राम—सैदपुर, तहसील—शाहबाद के खसरा सं0—200 में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065348 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक—८बी/यूपी/06/01/2017/एफसी/99, दिनांक 12.01.2017, उ0प्र0शासन का पत्रांक—भा0स0—06/14—2—2017—800(183)/2016, दिनांक 17.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित दोनों बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक—4238/14—10—4, दि0 08.02.17 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित हैं कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक: प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— / उक्तादिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
- 3— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिलो, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।